बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

संचिका सं0–मं0मं0–01/आर0–26/2006. 1876 दिनांकः– 19/10/2006

परिपत्र

राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा विभिन्न बैठकों में नीति–निर्धारण एवं अन्य बिन्दुओं पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। राज्य सरकार के नीतियों एवं अन्य बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन प्रशासी विभागों द्वारा समय–सीमा के अर्न्तगत किया जाना आवश्यक है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा भली–भाँति विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णयों के विरूद्ध उसके अनुपालन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई निम्न विहित प्रपत्र में की जाय :–

विभाग का नाम :–

कार्यान्वयन अनुसूची का विवरण

विषय :–

निर्णय का सारांश	योजना, लाभ/फलाफल	समय सीमा एवं कार्यान्वयन की रीति/ मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रतिवेदित किया जाना (अधिकतम सात दिन)

हस्ताक्षर–
नाम–
पदनाम–
(उत्तरदायी विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्यून)

3. पूर्व से लागू एवं परिचारित जाँच पत्र की कंडिका–22 के बाद कंडिका–23 एवं 24 जोड़ी जाती है। जो इस प्रकार होगी।

   कंडिका– 23 – संलेख के साथ प्रेस नोट संलग्न है या नहीं।

   कंडिका– 24 – कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न है या नहीं।

4. मंत्रिपरिषद में निर्णय हो जाने के पश्चात इससे संबंधित अधिसूचना/संकल्प/परिपत्र/आदेश आदि निर्गत किये जाने हेतु प्रशासी विभाग को एक सप्ताह का समय दिया जाता है। परन्तु कुछ मामले जैसे अधिनियम/नियम आदि बनाने में एक सप्ताह की समय सीमा बाध्यकारी नहीं होगी।
5. प्रेस नोट एवं कार्यान्वयन अनुसूची संलग्न नहीं रहने की स्थिति में प्रस्तावित संलेख पर विचार नहीं किया जायगा।
6. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगी।

ह0/–
(अशोक कुमार चौहान)
आयुक्त एवं सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

ज्ञापांकः– मं0मं0–01/आर0–26/2006 1876 दिनांकः– 19-10-06

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को बिहार गजट के ~~असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।~~

2. उनसे अनुरोध है कि गजट की पाँच सौ प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(अशोक कुमार चौहान)
आयुक्त एवं सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

ज्ञापांकः– मं0मं0–01/आर0–26/2006 1876 दिनांकः– 19/10/06

प्रतिलिपि :–सभी आयुक्त एवं सचिव/ सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि परिपत्र में निहित निदेश के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय से संबंधित संकल्प/अधिसूचना/परिपत्र/आदेश आदि की सूचना के साथ–साथ अन्य सूचनाएँ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को भी निश्चित रूप से संसूचित की जाय।

19/10/06
(अशोक कुमार चौहान)
आयुक्त एवं सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग